पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को)

मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र)

0755-2466859, 2464318

नियुक्ति हेतु विज्ञापन

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) म.प्र.शासन, पर्यावरण विभाग अंतर्गत पंजीकृत संस्था द्वारा रिक्त पदों पर निम्नानुसार एंट्री लेवल पर सीधी भर्ती /दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों पर सीधी भर्ती तथा वरिष्ठ स्तर पर प्रतिनियुक्ति / संविदा नियुक्ति के लिये एमपी ऑनलाईन के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

(अ) एंट्री लेवल पर सीधी भर्ती

क्र.	पद का नाम एवं वेतनमान	कुल संख्या	आरक्षण
1.	सहायक वास्तुविद् Level 12 (56100-177500)	03	UR (o) -2 (1 पद दिव्यांगजन हेतु आरक्षित) OBC (o) -1
2.	सहायक यंत्री Level 12 (56100-177500)	02	UR (o) -1 OBC (o) - 1
3.	सहायक वैज्ञानिक अधिकारी Level 12 (56100-177500)	03	UR (o) -2 (1 पद दिव्यांगजन हेतु आरक्षित) OBC (o) - 1

(ब) वरिष्ठ स्तर पर प्रतिनियुक्ति / संविदा नियुक्ति

क्र.	पद का नाम एवं वेतनमान	पद संख्या
1.	वरिष्ठ वास्तुविद् Level 14 (79900-211700) / निश्चित संविदा वेतन – रु. 1,20,000	UR (o) -1
2.	अधीक्षण यंत्री Level 14 (79900-211700) / निश्चित संविदा वेतन – रु.1,20,000	UR (o)-1
3.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी Level 14 (79900-211700) / निश्चित संविदा वेतन – रु.1,20,000	UR (o) -1
4.	लेखा अधिकारी Level 12 (56100-177500) / निश्चित संविदा वेतन – रु. 85, 000	UR (o) -1

प्रत्येक पद हेतु पात्रता मापदंड, सामान्य नियम एवं शर्तों सहित विस्तृत विज्ञापन एप्को की वेबसाईट www.epco.mp.gov.in तथा MP Online की वेबसाईट www.mponline.gov.in पर उपलब्ध है। ऑनलाईन आवेदन पत्र MP Online की अधिकारिक वेबसाईट पर उपलब्ध लिंक Iforms.mponline.gov.in के माध्यम से किये जा सकेगें। आवेदन हेतु MP Online द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा। आवेदन हेतु निर्धारित तिथियॉ -

आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ दिनांक – **08.09.25**
आवेदन पत्र भरने की अंतिम दिनांक - **30.09.25**

त्रुटिसुधार करने की प्रारम्भ दिनांक - **10.09.25**
त्रुटिसुधार करने की अंतिम दिनांक - **03.10.25**

कार्यपालन संचालक
एप्को, भोपाल

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को)

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल -462016

नियुक्ति हेतु विज्ञापन

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) म.प्र.शासन, पर्यावरण विभाग अंतर्गत मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के तहत पंजीकृत संस्था है । संस्था द्वारा पर्यावरणीय शोध/अध्ययन, योजना आकल्पन एवं पर्यावरण संबंधी परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने तथा वास्तुविदीय परामर्शी सेवाएं उपलब्ध करायी जाती है । एप्को में रिक्त पदों पर निम्नानुसार एंट्री लेवल पर सीधी भर्ती /दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों पर सीधी भर्ती तथा वरिष्ठ स्तर पर प्रतिनियुक्ति / संविदा नियुक्ति के लिये एमपी ऑनलाईन के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

I. पद एवं आरक्षण का विवरण :-

(अ) एंट्री लेवल पर सीधी भर्ती

क्र.	पद का नाम एवं वेतनमान	शैक्षणिक अर्हता	कुल संख्या	आरक्षण
1.	सहायक वास्तुविद् Level 12 (56100-177500)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर में उपाधि	02	UR (o) -1 OBC (o) -1
			दिव्यांगजन हेतु चिन्हित पद	
			01	बहरे कम सुनने वाले
2.	सहायक यंत्री Level 12 (56100-177500)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि	02	UR (o) -1 OBC (o) - 1
3.	सहायक वैज्ञानिक अधिकारी Level 12 (56100-177500)	पर्यावरण संबंधी विषयों यथा- जीवविज्ञान/ पर्यावरण प्रबंध /वनस्पति शास्त्र/ रसायन शास्त्र/ कृषि विज्ञान/ वन प्रबंधन/ सरोवर विज्ञान एवं भू-गर्भ शास्त्र में PHD एवं अंतरर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जर्नल में 2 पेपर का प्रकाशन **अथवा** पर्यावरण संबंधी विषयों यथा- जीवविज्ञान/ पर्यावरण प्रबंध / वनस्पति शास्त्र/ रसायन शास्त्र/ कृषि विज्ञान/ वन प्रबंधन / सरोवर विज्ञान / भू-गर्भ शास्त्र में न्यूनतम 60 प्रतिशत के साथ स्नातकोत्तर उपाधि एवं 5 वर्ष का कार्यानुभव ।	02	UR (o) -1 OBC (o) - 1
			दिव्यांगजन हेतु चिन्हित पद	
			01	लोकोमीटर डिसेबिलिटी (सेरेब्रल पल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीडित, मस्कुलर डिस्टाफी)

(ब) वरिष्ठ स्तर पर प्रतिनियुक्ति / संविदा नियुक्ति

क्र.	पद का नाम एवं वेतनमान	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता	पद संख्या
1.	वरिष्ठ वास्तुविद् Level 14 (79900-211700) / संविदा वेतन – 1,20,000	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्किटेक्चर में उपाधि तथा न्यूनतम 16 वर्ष की सेवा वाले राज्य अथवा केन्द्र शासन के विभागों / उपक्रमों/ संस्थाओं में कार्यरत / सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री से अनिम्न स्तर के अधिकारी अथवा वास्तुविदिय फर्म में 16 वर्ष का कार्य अनुभव	UR (o) -1
2.	अधीक्षण यंत्री Level 14 (79900-211700) / संविदा वेतन – 1,20,000	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि तथा न्यूनतम 16 वर्ष की सेवा वाले राज्य अथवा केन्द्र शासन के विभागों / उपक्रमों/ संस्थाओं में कार्यरत / सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री से अनिम्न स्तर के अधिकारी	UR (o)-1
3.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी Level 14 (79900-211700) / संविदा वेतन – 1,20,000	एन्ट्री लेवल पर सहायक वैज्ञानिक अधिकारी पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता तथा न्यूनतम 16 वर्ष की सेवा वाले राज्य अथवा केन्द्र शासन के विभागों / उपक्रमों / संस्थाओं में कार्यरत / सेवानिवृत्त उप संचालक से अनिम्न स्तर के अधिकारी	UR (o) -1
4.	लेखा अधिकारी Level 12 (56100-177500) / संविदा वेतन – 85, 000	बी. कॉम. उत्तीर्ण तथा न्यूनतम 16 वर्ष की सेवा वाले राज्य अथवा केन्द्र शासन के उपक्रमों में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त सहायक संचालक स्तर से अनिम्न के अधिकारी । ICAI चार्टेड एकाउन्टेट परीक्षा उत्तीर्ण को वरीयता ।	UR (o) -1

II. आवेदन पत्र भरने संबंधी आवश्यक निर्देश

1. एमपी ऑनलाईन के माध्यम से केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे । आवेदन हेतु निर्धारित तिथियॉं -
   - ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ दिनांक – 08.09.2025
   - आवेदन पत्र त्रुटिसुधार करने की प्रारम्भ दिनांक - 10.09.2025
   - ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम दिनांक - 30.09.2025
   - आवेदन पत्र त्रुटिसुधार करने की अंतिम दिनांक - 03.10.2025
2. अन्य किसी भी प्रकार से भेजे गये आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
3. त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

3. आयु सीमा –

(अ) सीधी भर्ती - न्यूनतम आयु-सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु-सीमा 40 वर्ष होगी। मध्यप्रदेश के मूल निवासी तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गो, विभागो/ निगमों/मण्डलों/ आयोगों/स्वायत्तः शासी निकायों /होमगार्ड में कार्यरत शासकीय सेवकों, भूतपूर्व सैनिकों तथा महिला अभ्यर्थियों व दिव्यांगजनों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष होगी। सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्र क्र. सी-5-2/2018/1/3 दिनांक 22.07.2023 की कंडिका 1.10 अनुसार 5 वर्ष से अधिक सेवा अवधि वाले कार्यरत संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष होगी। मध्यप्रदेश मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग नान क्रीमीलेयर अभ्यर्थियों को ही आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त होगा। अधिकतम आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संशोधन लागू होंगे। आयु सीमा की गणना भर्ती के चालू वर्ष की 1 जनवरी अर्थात् 01 जनवरी 2025 की स्थिति में की जाएगी।

(ब) प्रतिनियुक्ति / संविदा नियुक्ति – प्रतिनियुक्ति / सेवानिवृत्त अधिकारियों की संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन के लिये अधिकतम आयु - सीमा 64 वर्ष होगी। आयु सीमा की गणना भर्ती के चालू वर्ष की 1 जनवरी अर्थात् 01 जनवरी 2025 की स्थिति में की जाएगी।

(स) आयु की गणना हेतु अभ्यर्थी की 10 वी (हाईस्कूल) की अंक सूची में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अत: अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र में 10वीं की अंक सूची में उल्लेखित नाम / पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।

4. शुल्क संबंधी विवरण –

आवेदन हेतु एमपी ऑनलाईन द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।

5. चयन प्रक्रिया -

(अ) सीधी भर्ती / दिव्यांगजन हेतु चिन्हित पदों पर सीधी भर्ती -

I. सहायक वास्तुविद् / सहायक यंत्री एंट्री लेवल पद हेतु GATE Qualified अभ्यर्थियों के वर्ष 2023, 2024 अथवा 2025 में से किसी एक वर्ष के GATE Score की मेरिट के आधार पर चयन किया जावेगा।

II. सहायक वैज्ञानिक अधिकारी एंट्री लेवल पद हेतु एमपी ऑनलाईन के माध्यम से Online Academic Assessment test में प्राप्त अंको की मेरिट के आधार पर चयन किया जावेगा। Academic Assessment test का Syllabus संलग्नक -1 अनुसार होगा।

III. जिन डिग्री / कोर्स हेतु परीक्षा परिणाम ग्रेड में जारी किये जाते हैं के लिये संबंधित डिग्री/ कोर्स हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राप्त ग्रेड के आधार पर अंको की गणना की जावेगी।

IV. अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जर्नल से तात्पर्य है कि "SCOPUS" सूची में उल्लेखित जर्नल जिनका जर्नल इंपेक्ट फेक्टर 2 या अधिक है।

V. चयनित अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर मेरिट सूची के अगले अभ्यर्थी का चयन किया जावेगा।

VI. मेरिट सूची में समान स्कोर होने की स्थिति में अधिकतम आयु वाले अभ्यर्थी का चयन किया जावेगा। आयु भी समान होने की स्थिति में हाई स्कूल परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यार्थी को प्राथमिकता दी जावेगी। अन्य परिस्थिति में राज्य शासन के नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(ब) प्रतिनियुक्ति / संविदा नियुक्ति –

वरिष्ठ स्तर पर वरिष्ठ वास्तुविद्, अधीक्षण यंत्री, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी तथा लेखाधिकारी के पदों पर प्रतिनियुक्ति / संविदा नियुक्ति हेतु राज्य / केन्द्र शासन के विभागों तथा उपक्रमों / संस्थाओं में कार्यरत न्यूनतम 16 वर्ष सेवा अवधि वाले अधिकारियों अथवा सेवानिवृत्त अधिकारियों की शैक्षणिक अर्हता एवं प्रोफेशनल अनुभव के 90 अंक और साक्षात्कार के 10 अंक के पदवार निम्नानुसार मापदंड के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची अनुसार चयन किया जावेगा :-

1. वरिष्ठ वास्तुविद

क्र.	विवरण	अधिकतम अंक (90)
1.	शैक्षणिक / अन्य अनिवार्य अर्हता	20 अंक
	B.Arch. उपाधि	15 अंक
	Post-Graduation in Architecture	05 अंक
2.	प्रोफेशनल अनुभव	70 अंक
	वास्तुविदिय कार्यों में न्यूनतम 16 वर्ष का कार्य अनुभव	10 अंक
	विषय से संबंधित कार्य अनुभव 16 वर्ष से अधिक होने पर अधिकतम 60 अंक (2 अंक प्रति वर्ष कार्य अनुभव के मान से)	60 अंक

2. अधीक्षण यंत्री

क्र.	विवरण	अधिकतम अंक (90)
1.	शैक्षणिक / अन्य अनिवार्य अर्हता	20 अंक
	सिविल इंजी. में BE / B.Tech. उपाधि	15 अंक
	Post-graduation in Civil Engg. (Structure / Foundation / Environmental Engg.)	05 अंक
2.	प्रोफेशनल अनुभव	70 अंक
	सिविल इंजी. कार्यों में न्यूनतम 16 वर्ष का कार्य अनुभव	10 अंक
	विषय से संबंधित कार्य अनुभव 16 वर्ष से अधिक होने पर अधिकतम 60 अंक (2 अंक प्रति वर्ष कार्य अनुभव के मान से)	60 अंक

3. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी

क्र.	विवरण	अधिकतम अंक (90)
1.	शैक्षणिक / अन्य अनिवार्य अर्हता	20 अंक
	न्यूनतम 60% अंक से पर्यावरण विज्ञान संबंधी विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि तथा विषय से संबंधित 5 वर्ष का कार्य अनुभव	15 अंक
	पर्यावरण विज्ञान संबंधी विषयों में P.hd. एवं अंर्तराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जर्नल में 2 पेपर का प्रकाशन	05 अंक

2.	प्रोफेशनल अनुभव	70 अंक
	पर्यावरण विज्ञान संबंधी कार्यों में न्यूनतम 16 वर्ष का कार्य अनुभव	10 अंक
	विषय से संबंधित कार्य अनुभव 16 वर्ष से अधिक होने पर अधिकतम 60 अंक (2 अंक प्रति वर्ष कार्य अनुभव के मान से)	60 अंक

4. लेखा अधिकारी

क्र.	विवरण	अधिकतम अंक (90)
1.	शैक्षणिक / अन्य अनिवार्य अर्हता	20 अंक
	न्यूनतम 60% अंक से B.Com. उपाधि	15 अंक
	ICAI चार्टेड एकाउंटेंट परीक्षा उत्तीर्ण	05 अंक
2.	प्रोफेशनल अनुभव	70 अंक
	शासकीय लेखा कार्यों में न्यूनतम 16 वर्ष का कार्य अनुभव	10 अंक
	विषय से संबंधित शासकीय लेखा कार्य अनुभव 16 वर्ष से अधिक होने पर अधिकतम 60 अंक (2 अंक प्रति वर्ष कार्य अनुभव के मान से)	60 अंक

6. आवश्यक शर्तें –

(अ) सामान्य शर्तें

I. आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिये।

II. आरक्षित वर्ग के लिये मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। मध्यप्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी केवल अनारक्षित श्रेणी के लिये आवेदन हेतु पात्र होंगे।

III. अभ्यर्थी के पास अनिवार्य अर्हतायें ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि पर होना चाहिये। आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्रता नहीं रखेगें।

IV. जातिगत आरक्षण के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।

(ब) दिव्यांगजन हेतु चिन्हित पदों पर सीधी भर्ती हेतु शर्तें -

I. आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

II. नि:शक्तता का डिजीटल प्रमाण-पत्र संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय में मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा। 40 प्रतिशत या उससे अधिक वांछित नि:शक्तता वाले आवेदक ही नियुक्ति हेतु पात्र होगें।

III. डिजीटल जाति प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा।

IV. आवेदक का म.प्र. में किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

V. नियुक्ति आदेश जारी होने पर चयनित दिव्यांगजन को दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की जांच संबंधित जिला मेडिकल बोर्ड एवं श्रवण बाधित दिव्यांगजनों को बेरा टेस्ट नियुक्ति आदेश के पूर्व करवाया जाना अनिवार्य है। जिला मेडिकल बोर्ड की जांच में सही पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण करवाया जावेगा।

VI. चयन संबंधित पद हेतु सीधी भर्ती की प्रक्रिया अनुसार होगा।

(स) प्रतिनियुक्ति आधार पर चयन हेतु शर्ते :-

1. चयन उपरांत उपयुक्त पाये जाने पर अभ्यर्थी मूल विभाग से विगत पांच वर्षों के गोनपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग एवं विभागीय जांच इत्यादि की जानकारी प्राप्त की जावेगी। मूल विभाग से प्राप्त गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग कम से कम तीन वर्षों में 'क' एवं इससे उच्च तथा एक भी वर्ष में 'घ' न हो, के अनुरूप होना चाहिये।

2. अभ्यर्थियों के विरुद्ध कोई भी विभागीय जांच संस्थित न हो, लोकायुक्त/ आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों में प्रकरण पंजीबद्ध न हो। विजिलेंस इन्क्वायरी एवं न्यायालय में आपराधिक प्रकरण में चालान प्रस्तुत नहीं होना चाहिए। यदि अभ्यर्थियों के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित होना तथा /लोकायुक्त/आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में प्रकरण पंजीबद्ध पाया जाता है तथा / अथवा विजिलेंस इन्क्वायरी, न्यायालय में चालान प्रस्तुत होने आदि की जानकारी प्राप्त होने पर उनका चयन निरस्त कर दिया जावेगा।

(द) सेवानिवृत्ति उपरांत संविदा आधार पर चयन हेतु शर्ते :-

1. पद हेतु चयन के लिये उपयुक्त पाये जाने पर अभ्यर्थी के मूल विभाग से सेवाकाल के अंतिम पाच वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग एवं विभागीय जांच इत्यादि की जानकारी प्राप्त की जावेगी। मूल विभाग से प्राप्त गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग में कम से कम तीन वर्षों में क एवं इससे उच्च तथा एक भी वर्ष में **घ** न हो, के अनुरूप होना चाहिये।

2. अभ्यर्थियों के विरुद्ध कोई भी विभागीय जांच संस्थित ना हो लोकायुक्त/आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों में प्रकरण पंजीबद्ध ना हो विजिलेंस इंक्वायरी एवं न्यायालय में आपराधिक प्रकरण में चालान प्रस्तुत नहीं होना चाहिये। यदि अभ्यर्थियों के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित होना तथा / अथवा लोकायुक्त / आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में प्रकरण पंजीबद्ध पाया जाता है तथा / अथवा विजिलेंस इन्क्वायरी, न्यायालय में चालान प्रस्तुत होने आदि की जानकारी प्राप्त होने पर उनका चयन निरस्त कर दिया जायेगा।

3. चयन प्रक्रिया के अनुसार चयनित अधिकारी को संविदा आधार पर एक वर्ष के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा रु. 500/- नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध किया जाकर नियुक्ति दी जा सकेगी। नियुक्ति पूर्व अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त किये गये अच्छे स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा। इसके पश्चात् आवश्यकता होने पर प्रतिवर्ष कार्य की समीक्षा उपरांत संविदा अधिकारी का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक प्रतिवर्ष एक-एक वर्ष की सेवावृद्धि निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी।

7. **परिलब्धियाँ –**

(अ) सीधी भर्ती -

I. सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों को राज्य शासन के नियमानुसार प्रथम 2 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जावेगा। परिवीक्षा अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार न्यूनतम वेतन प्राप्त होगा।

II. परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर सहायक वास्तुविद्, सहायक यंत्री एवं सहायक वैज्ञानिक अधिकारी पद का वेतनमान **Level 12 (56100-177500)** तथा संगठन में देय अन्य भत्ते प्राप्त होंगे।

(ब) प्रतिनियुक्ति / संविदा नियुक्ति –

i. प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों को मूल विभाग में प्राप्त हो रहा वेतनमान देय होगा अर्थात अलग से वेतन निर्धारण नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते जो कि मूल विभाग में प्राप्त हो रहे है परंतु मध्यप्रदेश शासन में लागू नहीं है, के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनियुक्ति नियम इत्यादि लागू होंगे। प्रतिनियुक्ति अवधि हेतु भी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के नियम लागू होंगे।

II. प्रतिनियुक्ति के लिये सामान्य प्रशासन विभाग के नियम लागू होने व संविदा नियुक्ति हेतु वरिष्ठ वास्तुविद्/ अधीक्षण यंत्री/ वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के लिये संविदा वेतन रु. 1,20,000/- तथा लेखाधिकारी के लिये रु. 85,000 /- प्रतिमाह देय होगा।

III. सेवानिवृत्त उपरांत संविदा पर पदस्थ किये जाने वाले अधिकारी को सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार सेवानिवृत्ति के समय अंतिम मासिक वेतन में से पेंशन की राशि घटाकर शेष राशि संविदा परिश्रमिक के रूप में प्रतिमाह देय होगी।

8. अन्य नियम-निर्देश

1. विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनायें एवं संशोधन संगठन की वेबसाईट www.epco.gov.in एवं MP Online की वेबसाईट पर उपलब्ध करवायी जावेगी। इस संदर्भ में प्राप्त ईमेल / पत्राचार / दूरभाष संदेश पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी।
2. आवेदक के पास जीवित ई-मेल आईडी होना आवश्यक है। आवेदन में दर्ज ई-मेल आईडी पर ही आवश्यक सूचनाएं प्रेषित की जावेगी।
3. राज्य अथवा केन्द्र शासन के विभागों / उपक्रमों/ संस्थाओं में कार्यरत अभ्यर्थियों को वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किया जाना आवश्यक है। चयन होने पर कार्यभार ग्रहण करने के समय अनिवार्यत: NOC प्रस्तुत करना होगा।
4. ऑनलाईन आवेदन हेतु निम्नानुसार वांछित सभी अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति अपलोड किया जाना आवश्यक है एवं चयन होने पर दस्तावेज सत्यापन के समय मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा –

I. जन्म तिथि हेतु हाई स्कूल / हायर सेकेंडरी परीक्षा प्रमाण-पत्र

II. वांछित शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि / स्नातकोत्तर उपाधि / पीएचडी अंकसूची / प्रमाण-पत्र

III. कार्य अनुभव- नियोक्त द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण-पत्र

IV. कार्यरत सेवकों के लिये नियोक्ता का NOC

V. फोटो पहचान-पत्र (आधार/ पासपोर्ट / ड्रायविंग लायसेंस/ मतदाता परिचय पत्र/ बैंक पासबुक)

VI. मध्यप्रदेश निवासी के मूल निवासी प्रमाण-पत्र

VII. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र

VIII. स्थाई दिव्यांगता प्रमाण-पत्र

5. नियुक्त सभी अधिकारियों पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 लागू होगें एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की स्थिति में मध्यप्रदेश शासन तथा एप्को में प्रचलित नियम/ निर्देश लागू होगे।

6. अभ्यर्थी द्वारा प्रदत्त जानकारी असत्य पाये जाने पर आवेदक की अभ्यार्थिता चयन एवं नियुक्ति की स्थिति में निरस्त की जावेगी।

7. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये निर्धारित की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, इस पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

8. जिस आवेदक को 02 से अधिक संतान है उनमें से एक का जन्म यदि 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो तब ऐसा आवेदक नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

9. चयनित अभ्यर्थी को जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त अच्छे स्वास्थ्य का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा पुलिस से चरित्र सत्यापन करवाया जावेगा। अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त की जावेगी।

10. संगठन की आवश्यकतानुसार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकेगा। कार्यपालन संचालक, एप्को के पास विज्ञापित पदों पर पूर्ण रूप से / आंशिक रूप से नियुक्ति, पदों की संख्या में परिवर्तन तथा विज्ञापन निरस्त करने के पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेंगे ।

11. नियुक्ति से संबंधी सभी अधिकार कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को), भोपाल के पास सुरक्षित रहेंगे।

कार्यपालन संचालक
एप्को, भोपाल

Academic Assessment Test Syllabus

Post: Assistant Scientific Officer

Purpose: To assess candidates' understanding and competence in core environmental science, policy, conservation, research methodology, and applied technologies.

1. Scientific and Technical Knowledge of Environment - (80 Marks)

UNIT 1: Fundamentals of Environment and Ecosystems

- Definition, scope and importance of environment
- Components of environment: Atmosphere, Hydrosphere, Lithosphere, and Biosphere
- Ecosystem: Structure and functions
- Components: Biotic and Abiotic
- Types of ecosystems: Terrestrial and Aquatic
- Energy flow: Food chain, food web, ecological pyramids
- Biogeochemical cycles: Carbon, Nitrogen, Phosphorus, and Water cycles

UNIT 2: Environmental Laws, Acts & Rules (India)

- Indian Forest Act 1927
- Environment (Protection) Act, 1986
- Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974
- Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981
- Forest (Conservation) Act, 1980
- Wildlife (Protection) Act, 1972
- Public Liability Insurance Act, 1991
- Biological Diversity Act, 2002
- National Green Tribunal Act, 2010
- Key Rules:
- Ozone Depleting Substances Rules, 2000
- Biomedical Waste Management Rules, 2016
- Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016
- Solid Waste Management Rules, 2016
- Hazardous substances Rules 2017

UNIT 3: Environmental Education and Public Awareness

- Environmental Values, Ethics and Indian knowledge systems
- Environmental Education Programs (EEP)
- Education for Sustainable Development (ESD)
- Mission LiFE: Lifestyle for Environment

UNIT 4: Water Conservation (Wetlands, Lakes, River & Groundwater)

- Water resources of Madha Pradesh
- Concepts of Water conservation & Techniques (Watershed Management, Rainwater Harvesting and Groundwater Recharge)
- Definition, classification, and significance of wetlands, lakes, and rivers
- Knowledge about Ramsar Convention
- Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017
- Functions and mandates of State Wetland Authority
- Wetland conservation programs such as Amrit Dharohar Yojna and National Plan for Conservation of Aquatic Ecosystems (NPCA)
- National Mission for Clean Ganga (NMCG)
- State Initiatives: Jal Ganga Samvardhan Abhiyan (Madhya Pradesh)

UNIT 5 : Understanding of Atmosphere

- Stratification of Atmosphere
- Sources of Air pollution
- Concepts of Air Quality Index (AQI)
- Impact of Air pollution on Human Health
- Management Programs such as National Air Quality Program (NCAP) & Continuous Air Quality Monitoring systems

UNIT 6: Biodiversity Conservation & Eco-sensitive Areas

- Salient Features of Forests of MP
- Concept and importance of biodiversity
- Biodiversity conservation strategies
- Eco-sensitive Zones (ESZ): Notification, regulation, and management
- Wildlife diversity of Madhya Pradesh
- Protected Areas (National Parks, Wildlife Sanctuaries, Biosphere Reserves & Corridors) & its management with environmental perspective.

UNIT 7: Climate Change

- Greenhouse gases, Global Warming and Climate Change
- Impacts, mitigation, and adaptation strategies
- Vulnerability Assessment and Carbon Footprint
- National and State Plans:
- National Action Plan on Climate Change (NAPCC)
- State Action Plan on Climate Change (SAPCC)
- District and City Climate Action Plans

UNIT 8: Global Environmental Agreements

- UNFCCC, Kyoto Protocol, Paris Agreement, COP Summits
- Convention on Biological Diversity
- Basel convention on hazardous waste
- UN convention on combating desertification
- Montreal Protocol on Ozone depletion
- Minimata convention on Mercury

UNIT 9: Environmental Impact Assessment (EIA) & Clearance

- EIA Notification 2006 and amendments
- Steps in EIA process
- Environmental Clearance process and authorities
- Role of State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA)
- Compliance and monitoring of EC conditions

UNIT 10: Environmental Research Methodology

- Principles of scientific research
- Formulating research questions, hypotheses
- Important parameters for Water Quality Assessment
- Sampling techniques
- Data collection, analysis, Interpretation
- Report writing and referencing

UNIT 11: Sustainable Development

- Concept, evolution and principles of sustainable development
- UN Sustainable Development Goals (SDGs)
- Integrating sustainability in policy and planning

UNIT 12 : Environmental Governance – Institutions & Frameworks

- International Bodies: UNEP, UNDP, WRI
- National Institutions: MoEFCC, NBA, NMNH, ZSI, BSI, ICFRE, FRI, IIFM
- State Institutions: EPCO, MPPCB, State Biodiversity Board
- Role of inter-agency coordination and convergence

UNIT 13 : Current affairs and general knowledge of environmental issues.

2. Knowledge of Computer Skills and GIS Applications - (Marks 20)

- Basics of computer operation and internet
- MS Office: Word, Excel, PowerPoint
- Database management and project documentation
- Introduction to GIS and Remote Sensing
- Application of GIS in environmental planning and monitoring